

पत्रांक : 29/बी०एस०जी०-03/2018-19/.....०३...../बजट

झारखण्ड सरकार  
योजना-सह-वित्त विभाग  
(वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : ०७/०१/२०१९

विषय : तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी 2018-19 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग), झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक संख्या-32, दिनांक 04.01.2019 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार झारखण्ड विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 17.01.2019 से आहूत किया गया है। झारखण्ड विधान सभा के इस सत्र में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना है। तृतीय अनुपूरक बजट हेतु निम्न प्रकार के प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजे जा सकते हैं :-

- (i) भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर बजट में संशोधन अपेक्षित है।
- (ii) केन्द्र प्रायोजित स्कीम या केन्द्रीय सेक्टर स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गई है और उस राशि को आवंटित करने हेतु पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध नहीं है।
- (iii) राज्य स्कीम मद में समतुल्य प्रत्यर्पण के विरुद्ध प्रस्ताव।
- (iv) स्थापना मद में आवश्यकता आधारित प्रस्ताव।

वांछित प्रस्ताव दिनांक 10.01.2019 के अपराहन 5.00 बजे तक योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के website <https://10.92.194.10/budgetjhr> या <https://jkuber.gov.in/budgetjhr> → budget → supplementary third पर online उपलब्ध कराया जा सकता है।

विश्वासमान,



(सुखदेव सिंह)

अपर मुख्य सचिव,  
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-03/2018-19/03.../बजट, राँची, दिनांक : 21/11/2019

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुखदेव सिंह)  
अपर मुख्य सचिव,  
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-03/2018-19/03.../बजट, राँची, दिनांक : 21/11/2018

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदा०/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सदस्य, राजस्व पर्वद के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(सुखदेव सिंह)  
अपर मुख्य सचिव,  
योजना सह वित्त विभाग।

ज्ञापांक : 29/बी०एस०जी०-03/2018-19/03.../बजट, राँची, दिनांक : 21/11/2019

प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि तदनुसार Online Budget (C.O.B.T) की साईट को अद्यतन कर लिया जाय।



(सुखदेव सिंह)  
अपर मुख्य सचिव,  
योजना सह वित्त विभाग।